

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।  
पत्रांक : 1150 / 14-1 रामपुर, दिनांक : 31 अक्टूबर 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,  
मुरादाबाद।

विषय :- जनपद रामपुर में भारत संचार निगम लि०, मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 87 (500मी०) एवं एन.एच. 24 (नया 530) किमी० 186 से 214 (28 किमी०) कुल लम्बाई 29 किमी० पर ओ०एफ०सी० लाइन बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - Online Submission File No. FP/UP/Others/23650/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद रामपुर में भारत संचार निगम लि०, मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 87 (500मी०) एवं एन.एच. 24 (नया 530) किमी० 186 से 214 (28 किमी०) कुल लम्बाई 29 किमी० पर ओ०एफ०सी० लाइन बिछाने एवं 0.87 है० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा - 2 के अन्तर्गत 0.87 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मण्डलीय प्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, मुरादाबाद।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रामपुर एवं मिलक।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।